भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 632

06 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र

632. श्री रमेश चन्द्र माझी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्रों के लिए किसी समर्पित नीति का मसौदा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ओडिशा में एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) देश में अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्रों की संख्या और उनकी क्षमताओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति, 2018 गन्ने के रस, चीनी युक्त सामग्री जैसे चुकंदर, मीठी ज्वार, स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मक्का, कसावा, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जैसे गेहूं, टूटे चावल, सड़े हुए आलू (मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त) से एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति देती है। इसके अलावा, नीति राष्ट्रीय जैव-ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) के अनुमोदन से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत एथेनॉल के उत्पादन के लिए अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की भी अनुमति देती है। नवंबर 2020 में एनबीसीसी ने ईबीपी कार्यक्रम के तहत पेट्रोल के साथ मिश्रण के लिए एफसीआई के पास उपलब्ध चावल से और मक्का से एथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है।

...2/-

ईबीपी कार्यक्रम के तहत देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार ने जुलाई 2018 से विभिन्न एथेनॉल ब्याज छूट योजनाएं अधिसूचित की हैं। अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और ज्वार), गन्ना, चुकंदर आदि जैसे फ़ीड स्टॉक से पहली पीढ़ी (1जी) एथेनॉल के उत्पादन के लिए शीरा आधारित डिस्टिलरियों के अलावा देश की अनाज आधारित डिस्टिलरियों को शामिल करने के लिए जनवरी 2021 में इस योजना को और आशोधित किया गया था। इसके अलावा, अप्रैल 2022 में एक वर्ष की अवधि के लिए अनाज आधारित डिस्टिलरी सहित डिस्टिलरी के लिए एक और एथेनॉल ब्याज छूट योजना अधिसूचित की गई थी।

एथेनॉल ब्याज छूट योजनाओं के तहत, सरकार उद्यमियों को देश भर में नई डिस्टिलरियां (शिरा आधारित, अनाज आधारित और दोहरे फ़ीड आधारित) स्थापित करने या मौजूदा डिस्टिलरियों (शिरा आधारित, अनाज आधारित और दोहरे फ़ीड आधारित) का विस्तार करने की सुविधा प्रदान कर रही है। बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रभारित ब्याज का 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज छूट या 50% ब्याज दर, इसमें जो भी कम हो, का वहन एक वर्ष स्थगन सहित पांच वर्षों के लिए केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

(ग) और (घ): केंद्र सरकार ओडिशा सहित देश के किसी भी हिस्से में स्वयं का एथेनॉल संयंत्र स्थापित नहीं करती है। हालाँकि, उद्यमी परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

आज की तिथि में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) की विभिन्न ब्याज छूट योजनाओं के तहत ओडिशा से कुल 29 अनाज आधारित एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में, ओडिशा में 3 अनाज आधारित डिस्टिलरियां हैं, जिनकी अनुमानित एथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 4.5 करोड़ लीटर प्रति वर्ष है।

(ङ): वर्तमान में, देश में 155 अनाज आधारित डिस्टिलरियां हैं, जिनकी अनुमानित एथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 505 करोड़ लीटर है।

******